10 रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(78)

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पु0 क्0 /2012 R. 2753-PBR/12

हेमन्तसिंह पुत्र श्री बीरसिंह जाति रघुवंशी
निवासी अम्बेडकर चौक गंज बासोदा जिला
विदिशा मध्य प्रदेश ------ रिवीजनकर्ता

बनाम

शासन मध्य प्रदेश बजरिये अनुविभागीय अधिकारी
व सक्षम प्राधिकारी गंज बासोदा जिला विदिशा
------- प्रति0रिवीजन

श्री ... चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 21.8.12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता
खिलाफ आदेश तारीखी 15/5/2012 न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी गंज बासोदा प्रकरण क्0
72/बी-121/2011-12 वमामले शासन बनाम हेमन्त
सिंह ग्राम कस्बा बासोदा

===================================

8
DChaturvedi
21/8/12

श्री मान महोदय

रिवीजन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कस्बा बासोदा तहसील बासोदा स्थित भूमि खसरा नं0 659, 660, 661, 662, 663, 664/1 कुल रकबा 1.124है0 का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी रिवीजनकर्ता है उक्त भूमि के सम्बन्ध में शासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर उक्त भूमि में से किये गये विक्रय को कालोनीनाइजर एक्ट के अपराध में मानते हुये नोटिस देकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में गतिशील रहा जिस में रिवीकर्ता द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उक्त भूमि नगर पालिका में स्थित न होने से ग्राम कस्बा बासोदा में स्थित है उक्त भूमि में 10 वर्ष से कोई भी प्लाट का विक्रय नही किया गया है भूमि डायवसन युक्त है जिस की

[illegible]

XXIX(a)-BR(H)-11

(18)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2753-पीबीआर/12 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	